-1-

5 Rs. COURT FEE 5 भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

5 Rs. COURT FEE 5 भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

5 Rs. COURT FEE 5 भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय : राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक-413-IV/2002 निगरानी

नवाब सिंह पुत्र वेदरिया काछी निवासी दिमनी हाल निवासी जेवराखेड़ा परगना व जिला मुरैना

-------प्रार्थी

बनाम्

1- श्रीमती कलाबाई बेवा पत्नि राम भजन

2- रामनरेश पुत्र रामभजन

3- राकेश
4- साधूसिंह
5- लक्षमण
6- हाकिम सिंह

पुत्रगण रामभजन समस्त नाबा० वसरपरस्ती मां श्रीमती कलाबाई बेवा रामभजन.

समस्त जाति काछी निवासीगण ग्राम भागना मौजा दिमनी हाल ग्राम शंकरपुर मौजा अजनौधा परगना अम्बाह जिला मुरैना

-----प्रतिप्रार्थीगण

श्री ... द्वारा आज दि० 22/2/02 को प्रस्तुत
रीडर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
22 FEB 2002

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग आदेश दिनांक 29-11-2001 पारित प्रकरण क्रमांक-82/94-95 अपील, अन्तर्गत धारा 50 रे०को०.

श्रीमान्,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :-

{अ} यह कि, विवादित भूमि प्रार्थी ने द्वारा रजिस्टर्ड बिक्री पत्र प्रतिप्रार्थीगण के पूर्वज रामभजन से दिनांक 5-7-1976 को क्रय की ।

{ब} यह कि, प्रतिप्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय में उक्त भूमि पर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – 413–चार/02 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-6-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 82/94–95/अपील में पारित आदेश दिनांक 29–11–01 से व्यथित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील अम्बाह के ग्राम दिमनी स्थित विवादित भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी रामभजन पुत्र वेदरिया था । उनकी मृत्यु उपरांत वारिसाना आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा नामांतरण स्वीकार किया गया । राजस्व निरीक्षक के आदेश से व्यथित होकर आवेदक नवाबसिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जो उन्होंने स्वीकार की एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया । प्रकरण वापिस प्रत्यावर्तित होने पर विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनने के उपरांत आदेश दिनांक 11–2–94 द्वारा विवादित भूमि पर पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 5–7–76 के आधार पर आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया । इससे दुखी होकर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील हुई । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त अपील मे दिकनांक 13–2–95 को आदेश पारित करते हुए विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया एवं राजस्व निरीक्षक का 17–2–87 कार आदेश स्थिर रखा गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश	

निग.- 413.IV/02 (मुरैना)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । 4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है । 5/ अनावेदकगण पकरण में एकपक्षीय हैं । 6/ आवेदक द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण नामांतरण का है । अपर आयुक्त उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण नामांतरण का है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक के हित में जो वसीयत है वह 5–7–76 को लिखी गई है जबकि थाना प्रभारी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाणपत्र के आधार पर मृत्यु 31–12–75 को हो चुकी है तब 5–7–76 को वसीयत कैसे हो सकती है, यह बिंदु विचार योग्य था । अपर आयुक्त का उक्त निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त ने जो आदेश पारित किया है, उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हो एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	